



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 377] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 1992/भाद्र 30, 1914
No. 377] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 1992/BHADRA 30, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-मूल परित्वहन मंत्रालय

(पसन पक्ष)

पधिसूचना

नई दिल्ली 21 अप्रैल, 1992

सा का.नि. 771 (अ) —केन्द्र सरकार महापतम ग्यास अधिनियम, 1963
(1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पसन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए

गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कंडला पोर्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) (संशोधन) विनियम, 1992 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1964 का 38) की धारा 124 के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कंडला पोर्ट का न्यासी मंडल, कंडला पोर्ट कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) विनियम, 1994 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. ये विनियम "कंडला पोर्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन विनियम, 1992" कहे जाएंगे।
2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
3. विनियम 27 (क) (1) की मद (1) के सामने लिखे गए "बोर्ड अथवा" शब्दों को "केन्द्र सरकार अथवा" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अध्यक्ष

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

[फा.सं. पी.कार.-12012/18/92-पी.ई.-I]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :

मूल विनियम भारत के प्रसाधारण राजपत्र में दिनांक 29-2-1934 को जी.एस. धार. 309 के अधीन प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 21st September, 1992

NOTIFICATION

G.S.R. 771(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment, Regulations, 1992

made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28, read with Section 124 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1964), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby make the following amendment to the Kandla Port Employees (Classification, Control & Appeal) Regulations 1964, namely ;

- I. These regulations may be called "The Kandla Port Employees (Classification, Control & Appeal) Amendment Regulations, 1992."
- II. This shall come into force from the date on which it is published in the official gazette.
- III. The words "The Board or" against item (i) in Regulation 27(A) (1) shall be substituted by the words "The Central Government or".

Chairman

Kandla Port Trust
[No. PR-12012/18/92-P.E. I]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

FOOT NOTE :

The principal Regulation was published in the Gazette of India Extraordinary on 29-2-64 under G.S.R. 309.

